न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024/265
दायरा तिथि : 12.06.2024
आदेश तिथि : 11-11-2024
प्रार्थी :–

श्री मोहनलाल पुत्र देवीलाल जाति मीणा, निवासी खाटला उदयपुर (राज.)

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांकः

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम चामुण्डेरी पटवार हल्का चामुण्डेरी तहसील बाली के खसरा नंबर 79/1 रकबा 2.4000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम चामुण्डेरी पटवार हल्का चामुण्डेरी तहसील बाली के खसरा नंबर 76 रकबा 10.2500 हैक्टर व खसरा नंबर 80 रकबा 19.2200 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, चामुण्डेरी ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2024/1403 दिनांक 22.08.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, चामुण्डेरी की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि खातेदार/आवेदक अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु इसी खसरा नंबर 76 व 80 में से नजरी नक्शे अनुसार आता–जाता है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध समस्त रास्तों के विकल्पों में से निकटतम है।
3. यह है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित है।
4. यह है कि ग्राम चामुण्डेरी में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	76	10.2500 हैक्टर	बा. सो.	180X09=1620 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
2	80	19.2200 हैक्टर	गै.मु. पहाड	772X09=6948 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

5. यह कि भू–अभिलेख निरीक्षक चामुण्डेरी की रिपोर्टनुसार प्रस्तावित प्रस्तावित रास्तो के खसरो की डी.एल.सी. दर 1,51,061 रू/– रूपये प्रति हैक्टर है।
6. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतू उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण, ढाणी या पुराना वृक्ष नहीं है।

प्रकरण मे तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

उप - खण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार..........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024/265

अनवान मोहनलाल बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम चामुण्डेरी पटवार हल्का चामुण्डेरी तहसील बाली के खसरा नंबर 79/1 रकबा 2.4000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/1403 दिनांक 22.08.2024 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम चामुण्डेरी पटवार हल्का चामुण्डेरी तहसील बाली के खसरा नंबर 79/1 रकबा 2.4000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम चामुण्डेरी पटवार हल्का चामुण्डेरी तहसील बाली के खसरा नंबर 76 रकबा 10.2500 हैक्टर व खसरा नंबर 80 रकबा 19.2200 हैक्टर में से **1620+6948= 8568 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 1,51,061 /–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
76	10.2500 हैक्टर	180X09=1620 वर्गमीटर	15	24300X2=48,600	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
80	19.2200 हैक्टर	772X09=6948 वर्गमीटर	15	1,04,220X2=2,08,440	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 2,57,040/– (अक्षरे दो लाख सतावन हजार चालिस रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू–अभि. चामुण्डेरी द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(दिनेश बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक : 11.11.2024

उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

क्रमॉक/कोर्ट/2024/ 2273-2277

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 चामुण्डेरी
3. पटवारी हल्का, चामुण्डेरी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री मोहनलाल पुत्र देवीलाल जाति मीणा, निवासी खाटला उदयपुर (राज.) को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

BhuNaksha ग्राम चामुण्डेरी तहसील – बाली (पाली)

Online Users: 59 Online Visitors: 49